यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य च कत्सा अ धकारी, रुद्रपुर, ऊधम संह नगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य च कत्सा अ धकारी, रुद्रपुर, ऊधम संह नगर के माह 09.2015 से 06.2017 के लेखा-अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी तथा श्री प्रमोद कुमार चौधरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 24.07.2017 से 03.08.2017 तक सम्पादित की गयी।

<u>भाग-I</u>

1). <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री र वन्द्र भट्ट, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री मोहम्मद सलीम खान, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 10.09.2015 से 19.09.2015 तक श्री हनुमान संह, लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08.2013 से 08.2015 तक के लेखा-अ भलेखों की जांच की गयी थी।

2). **(i).** इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः कार्यालय मुख्य च कत्सा अ धकारी, रुद्रपुर, ऊधम संह नगर के भौगो लक अ धकार क्षेत्र के अंतर्गत जिला ऊधम संह नगर के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथ मक स्वास्थ्य केंद्र एवं च कत्सालय आते हैं । जनपद के अंतर्गत चल रही समस्त स्वास्थ्य सु वधाओं एवं योजनाओं का कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मुख्य च कत्सा अ धकारी के क्रयाकलाप के अंतर्गत आता है ।

ii). (अ). वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वत्तीय वर्ष	आयोजनागत		आयोजनेत्तर	
	आवंटित धनरा श	व्यय धनरा श	आवंटित धनरा श	व्यय धनरा श
2014-15	220.80	219.80	465.86	464.58
2015-16	167.86	148.77	413.98	369.14
2016-17	439.24	403.45	107.51	85.59

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के वगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

(रु लाख में)

वर्ष			
प्रारम्भिक शेष			
वर्ष के दौरान प्राप्तिया (क) कैंद्रान्श (ख) राजयांश (ग) अन्य प्राप्तिया	लागू नही	लागू नही	लागू नही
व्यय			
अंतिम शेष			

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अ धक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2014-15	--	--	--	--	--	--
2015-16	--	--	--	--	--	--
2016-17	--	--	--	--	--	--

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना एवं जिला योजना द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई 'अ' श्रेणी की है।

वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a).प्रमुख स चव, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

b).महानिदेशक- च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

c).निदेशक, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखंड, नैनीताल

d). मुख्य च कत्सा अ धकारी

e). अतिरिक्त मुख्य च कत्सा अ धकारी

f). प्रभारी च कत्सा अ धकारी

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः वर्तमान लेखापरीक्षा 09.2015 से 06.2017 तक की अव ध को आच्छादित करते हुए कार्यालय मुख्य च कत्सा अ धकारी, रुद्रपुर, ऊधम संह नगर के लेखा-अ भलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य च कत्सा अ धकारी, रुद्रपुर, ऊधम संह नगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03.2017 एवं 09.2015 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया प्रतिचयन अ धकतम व्यय के आधार पर कया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अ धनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-1 रुपया 8.32 करोड़ का अनियमत भुगतान।

मई 2013 मे महानिदेशक, चकत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून (The Concessioning Authority) द्वारा शील नर्सग होम प्राइवेट लमटेड, बरेली, उत्तर प्रदेश (Concessionaire) के साथ उधमसंह नगर जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाजपुर के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशप मोड मे संचालन हेतु पाँच वर्ष की अवध के लए Concession Agreement कया गया था। Concessionaire द्वारा Agreement के Schedule-9 मे दर्शाये गए 12 clinical staff एवम 30 paramedical staff की schedule-5 मे दर्शायी गयी योग्यता एवम अनुभव के आधार पर नियुक्ति करनी थी। तथा उक्त स्टाफ की उपस्थिती सुनिश्चित करने हेतु संबन्धित software के साथ GPS Enabled Biometric Attendance system अनुबंध की पूर्ण अवधि में अकार्यशील रहा। समस्त स्टाफ द्वारा duty hours की शुरुआत एवम समाप्ती पर उक्त सस्टम मे उपस्थिती दर्ज करनी थी, तथा biometric system का डाटा वैबसाइट पर भी अपलोड करना था। ताक आवश्यकता होने पर शासन द्वारा भी उसे देखा जा सके। प्राइवेट पार्टनर को fixed grant (8228 वर्गमीटर हेतु रुपया 2977 प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह की दर से रुपया 2041230) एवं variable ग्रांट का भुगतान करना था। यदि Concessionaire शैड्यूल-10 मे उल्लिखत KPIs को प्राप्त नहीं करता तो पूर्ण त्रैमास हेतु भुगतान से 6 से 10 प्रतिशत कम KPIs प्राप्त करने पर 5 प्रतिशत, 11 से 15 प्रतिशत कम KPIs प्राप्त करने पर 15 प्रतिशत, 16 से 20 प्रतिशत कम KPIs प्राप्त करने पर 25 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत से अधक प्रतिशत कम KPIs प्राप्त करने पर 40 प्रतिशत की कटौती की जानी थी तथा show cause notice भी जारी करना था। प्राइवेट पार्टनर द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत कए गए देयकों को प्रभारी चकत्साधकारी सामुदायिक केंद्र एवं मुख्य चकत्साधकारी द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार जांच करते हुए भुगतान हेतु महानिदेशक, चकत्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को अग्रसारित करना था।

अभलेखों की संवीक्षा मे पाया गया क concessionaire द्वारा Agreement होने के लगभग तीन वर्ष से अधक के बाद भी Agreement के Schedule-9 मे दर्शाये गए 12 clinical staff मे से Radiologist and Eye Surgeon के पद पर अनुबंध की समाप्ती तक नियुक्ति नहीं की गयी थी। स्टाफ की उपस्थिती एवं KPIs के पारदर्शक निर्धारण हेतु संबन्धित software के साथ GPS Enabled Biometric Attendance system स्थापत नहीं कया गया। प्रारम्भ से अब तक क्लिनिकल स्टाफ मे 16.66 प्रतिशत से 25.31 प्रतिशत तक अनुपस्थिति रही। आगे अभलेखों की जांच मे पाया गया क क्लिनिकल स्टाफ में radiologist एवम Eye Surgeon प्रारम्भ से ही लगातार अनुपस्थित रहे, जिसके कारण प्रारम्भ से ही अल्ट्रासाउंड नहीं कए गए परंतु उक्त चकत्सा उपकरण निष्क्रिय रहने हेतु KPI-4 के अनुसार कोई कटौती नहीं की गयी।

आगे, जांच में पाया गया क सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र, बाजपुर के शासकीय प्रभारी च कत्सा धकारी एवं मुख्य च कत्सा अ धकारी द्वारा Concessionaire द्वारा चिकित्सीय एवं खाली निकट स्टॉफ की उपस्थिति manually तैयार कर प्रस्तुत की गयी, जिन्हें एग्रीमेंट मे दर्शाये गए Key Performance Indicators (KPIs) एवम Incentive Mechanism के framework मे दर्शाये गए फॉरमूले के अनुसार पूर्ण रूप से जांच कए बिना भुगतान हेतु महानिदेशक, च कत्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को अग्रसारित कया गया, कसी भी देयक में क्लिनिकल स्टाफ की अनुपस्थिति एवं अल्ट्रासाउंड न कए जाने हेतु कटौती कए जाने हेतु कोई अनुशंसा नहीं की गयी। आगे, GPS Enabled Biometric Attendance system अकार्यशील रहने के कारण अ भलेखों में स्टाफ की अनुपस्थिति/उपस्थिती एवं प्राइवेट पार्टनर द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं की सत्यता को सत्या पत नहीं कया जा सका। KPI-3 एवं KPI-4 को शत प्रतिशत दर्शाया गया था, जब क अल्ट्रासाउंड प्रारम्भ से अनुबंध की समाप्ति तक नहीं कया गया। इसके वावजूद भी एग्रीमेंट मे दर्शाये गए Key Performance Indicators (KPIs) एवम Incentive Mechanism के framework मे दर्शाये गए फॉरमूले के अनुसार पूर्ण रूप से जांच कए बिना देयकों को भुगतान हेतु महानिदेशक, च कत्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को अग्रसारित कया गया, कसी भी देयक में क्लिनिकल स्टाफ की अनुपस्थिति एवं अल्ट्रासाउंड न कए जाने हेतु कटौती कए जाने हेतु कोई अनुशंसा नहीं की गयी, जिसके परिणामस्वरूप concessionaire को अप्रैल 2014 से सतंबर 2016 तक रुपया 8.32 करोड़ का अनिय मत भुगतान कया गया, एवं चूं क देयकों की KPIs के फोर्मूले के अनुसार जांच कर वांछित कटौती की अनुशंसा भी नहीं की गयी, जिसके कारण देय से अ धक भुगतान की संभावना से भी इंकार नहीं कया जा सकता।

लेखापरीक्षा में इं गत कए जाने पर मुख्य च कत्सा अ धकारी ने स्वीकार कया क अनुबंध की पूर्ण अव ध में GPS Enabled Biometric Attendance system अकार्यशील रहने के कारण देयक मेनुयल तैयार कर प्रस्तुत कए गए, एवम अनुबंध की शर्त के अनुसार GPS Enabled Biometric Attendance system द्वारा देयक प्रस्तुत न कए जाने, निरंतर क्लिनिकल स्टाफ की अनुपस्थिति, अल्ट्रासाउण्ड न कए जाने के वावजूद भी देयकों में KPIs के फोर्मूले के अनुसार जांच कर वांछित कटौती की अनुशंसा न कए जाने के संबंध में उत्तर दिया क इस संबंध में संबन्धित च कत्सा अधीक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है अनुबंध के अनुसार GPS Enabled Biometric Attendance system द्वारा तैयार देयकों को KPIs के फोर्मूले के अनुसार जांच कर वांछित कटौती की अनुशंसा करते हुए ही भुगतान हेतु महानिदेशक कार्यालय को प्रे षत कया जाना चाहिए था, परंतु मुख्य च कत्सा अ धकारी द्वारा अनुबंध क शर्तों के अनुपालन में श थलता बरतते हुए मेनुयली तैयार देयकों को KPIs के फोर्मूले के अनुसार जांच एवम वांछित कटौती की अनुशंसा कए बिना ही देयकों को भुगतान हेतु महानिदेशक कार्यालय को प्रे षत कया

गया, जिसके परिणाम स्वरूप न क प्राइवेट पार्टनर को रुपया 8.32 करोड़ का अनिय मत भुगतान हुआ बल्कि जनसाधारण गुणवत्तापरक च कत्सा सु वधा से भी वांछित रहा।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर- **2**:   रुपया **49.26** लाख की हानि।

मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन हेतु च कत्सालय, बीमा कंपनी तथा TPA के साथ कए गए सेवा अनुबंध के अनुसार एंपेनल्ड च कत्सालय द्वारा लाभार्थी के च कत्सालय से डस्चार्ज होने के सात दिन के अंदर लाभार्थी की च कत्सा से संबन्धित सभी वांछित दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड कर दिये जाने चाहिए। च कत्सालय द्वारा नेट कनेक्टि वटी अथवा अन्य कारण से वांछित दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड करने में असमर्थ रहने की स्थिति में, अपने भुगतान हेतु दावों को अ धकतम दस दिन के अंदर इलेक्ट्रोनिकली अथवा मेनुयली बीमा कंपनी को प्रस्तुत कर देने चाहिए। च कत्सालय भुगतान हेतु दावों को प्रस्तुत करने में हुई देरी के कारणों को बीमा कंपनी को सू चत करेगा, यदि दावे 30 दिन के अंदर बीमा कंपनी को प्रस्तुत कए जाते हैं तो, बीमा कंपनी इस आधार पर दावों को अस्वीकार नहीं करेगी क दावे 10 दिन के अंदर प्राप्त नहीं हुए अथवा निर्धारित प्रपत्र में नहीं थे। मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से संबन्धित अ भलेखों की संवीक्षा में पाया गया क empanelled च कत्सालयों द्वारा अनुबंध की शर्त के अनुसार वांछित दस्तावेजो को देरी से अपलोड कए जाने एवं अपूर्ण दस्तावेज़ अपलोड कए जाने के कारण योजना के प्रारम्भ से मार्च 2017 तक बीमा कंपनी 49.26 लाख के भुगतान दावे अस्वीकार कए गए, जिसके परिणाम स्वरूप शासन को रुपए 49.26 लाख की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में इं गत कए जाने पर मुख्य च कत्सा अ धकारी ने उत्तर दिया क वांछित दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड न कया जाना, देरी से अपलोड कया जाना एवं अपूर्ण दस्तावेजों का अपलोड कया जाना बीमा कंपनी द्वारा दावों को अस्वीकार कए जाने के मुख्य कारण रहे। उत्तर से स्पष्ट है क empanelled च कत्सालयों द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार सभी दावे वांछित दस्तावेजों सहित निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्रस्तुत नहीं कए गए, जिसके परिणामस्वरूप बीमा कंपनी द्वारा दावे अस्वीकार कए जाने के कारण शासन को रुपया 49.26 लाख क हानि हुई, यदि उक्त पूर्ण वांछित दस्तावेज़ निर्धारित समय-सीमा के अंदर अपलोड कए गए होते तो उक्त हानि को बचाया जा सकता था।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर **3 -** वभाग द्वारा वत्तीय वर्ष 2016-17 के लघु निर्माण कार्यो के त्रुटिपूर्ण आगणन तैयार करना एवं ठेकेदारो को रु 81,**700**/- धनरा श का अ धक भुगतान कया जाना।

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 740/VII/14-680(श्रम)/2002/टी सी-II, दिनांक 13 अगस्त 2014 के अनुसार निर्माण कार्यो की लागत का 1 प्रतिशत श्र मक उपकर (labour cess) लए जाने का प्रावधान है तथा इसके अंतर्गत सरकारी/ गैर सरकारी सभी प्रकार के ऐसे निर्माण कार्य सम्मि लत कए गए है, जिनमे 10 या 10 से अ धक निर्माण श्र मक वगत एक वर्ष मे कसी भी दिन नियोजित रहे है। इसके अंतर्गत आवासीय भवनो के संबंध मे रु 10 लाख तक की लागत के निर्माण कार्यो को अ धनियम के प्रावधानों से मुक्त रखा गया है तथा पंजीकृत श्र मकों के कल्याणकारी योजनाओ के लए धन व्यवस्था हेतु निर्माण अ धष्ठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य की लागत का 1प्रतिशत उपकर कल्याण बोर्ड की नि ध मे जमा कए जाने का प्रावधान है

वभाग द्वारा वत्तीय वर्ष 2016-17 मे लघु निर्माण/ मरम्मत कार्यो के अंतर्गत जिला योजना के कुल 20 कार्यो (10 लाख से कम लागत के) को Percentage Rate Contract के अनुसार कए गए। लघु निर्माण कार्यो हेतु वर्ष 2016-17 मे पत्रांक 1365/ जि॰ यो॰/च कत्सा वभाग/2016-17, दिनांक 07 दिसंबर 2016 द्वारा 100 लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृती प्रदान की गयी थी, स्वीकृत धनरा श के सापेक्ष रु 81.70 लाख की धनरा श जिला अ धकारी द्वारा अवमुक्त की गयी, उक्त कार्यो से संबन्धित प्रारम्भिक आगणन (Estimate) इकाई द्वारा बनाए गए है जिसके आधार पर ठेकेदारो को रु 81.70 लाख का भुगतान कया गया है, अब तक धनरा श रु 81.70 लाख का सम्पूर्ण व्यय वभाग द्वारा कर लया गया है।

अ भलेखो की जांच मे पाया गया की उक्त लघु निर्माण कार्यो हेतु तैयार कए गए आगणन (Estimate) मे पीडबल्यूडी के schedule ऑफ rates के अतिरिक्त श्र मक उपकर 1 प्रतिशत को आगणन तैयार करते समय आगणन मे जोड़ा गया है, तथा इस प्रकार तैयार कए गए आगणन के आधार पर वभाग द्वारा ठेकेदारो को एक मुस्त धनरा श के रूप मे पूर्ण भुगतान कया गया। अतः इकाई द्वारा लघु निर्माण कार्यो के आगणन मे 1 प्रतिशत श्र मक उपकर लगाकर आगणन को 1 प्रतिशत अ धक बनाया गया है, जिस कारण वत्तीय वर्ष 2016-17 मे लघु निर्माण कार्यो के भुगतान मे रु 81,700/- की अ धक धनरा श का भुगतान ठेकेदारो को इकाई द्वारा कया गया।

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग ने उत्तर मे बताया है क वर्ष 2016-17 के बनाए गए आगणन मे 1 प्रतिशत श्र मक उपकर (Labour cess) को भूलवश (त्रुटिवश) जोड़ा गया है उक्त का भ वष्य मे ध्यान रखा जाएगा तथा ठेकेदारो को धनरा श का भुगतान एक मुस्त रूप मे पूर्ण रूप से कर दिया गया है तथा वभाग द्वारा labour cess की कोई कटौती ठेकेदारो के बीजको से नही की जा रही है।
उत्तर मान्य नही है क्यो क वभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण आगणन तैयार करने के कारण वर्ष 2016-17 मे रु 81,700/- का अतिरिक्त भुगतान ठेकेदारो को कया गया है जिसकी वसूली

ठेकेदारो से क जानी लम्बित है। अतः रु 81,700/- की धनरा श क वसूली (Recovery) ठेकेदारो से भ वष्य मे अपे क्षत है।

अतः वभाग द्वारा वत्तीय वर्ष 2016-17 के लघु निर्माण कार्यो के त्रुटिपूर्ण प्रारम्भिक अगणना तैयार करना एवं ठेकेदारो को रु 81,700/- धनरा श का अ धक भुगतान कए जाने का प्रकरण सज्ञान मे लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर **1 -** धनरा श रु **67.80** लाख की प्र वष्टि रोकड़ बही में न कया जाना ।

शासन के पत्रांक सं०- 3/ xxvii (6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के बिंदु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार श्आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बंधित के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बंधित अभिलेखों दृ यथा 11 सी पंजिकाए कैशबुकए बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे इसके अतिरिक्त, Form BM- 05 में DDO द्वारा सम्बंधित माह में किये गये लेनदेनों के सत्यापन हेतु स्पष्ट रूप से वर्णित है कि ''Certified that all the drawals shown in the statement are correct except the followings ones (if any) which have not been made by me'' and ''Besides the above the following are also the drawals (if any) by me during the month which have not been shown in the statement.''

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रूद्रपुर, उधम सिंह नगर (CMO Office Expenditure) की रोकड़बही की नमूना जाँच में पाया गया कि चयनित माहों मार्च 2017 एवं सितम्बर 2015 में कुल व्यय रू 67.80 लाख की सकल धनराशि (Gross Amount) को रोकड़-बही में नहीं दर्शाया गया था विवरण निम्नवत है :-

(रु में)

दिनांक	बिल संख्या	वाउचर संख्या	सकल धनराशि	**Remark, if any**
07.03.2017	71103	A22100035	70454	वेतन
07.03.2017	71103	A22100036	345340	वेतन
07.03.2017	71103	A22100037	1450986	वेतन
07.03.2017	71103	A22100039	387050	वेतन
07.03.2017	71103	A22100040	226713	वेतन
07.03.2017	71103	A22110011	129954	वेतन
25.03.2017	51603	A22100089	504545	वेतन
27.03.2017	71203	A22100094	13617	वेतन
27.03.2017	71203	A22100095	946720	वेतन
31.03.2017	11703	A22100114	123962	वेतन
31.03.2017	-	A22110023	28054	वेतन

29.09.2015	91709	A22100067	1211643	वेतन
29.09.2015	91709	A22100068	262472	वेतन
29.09.2015	91709	A22100069	326260	वेतन
29.09.2015	91709	A22100070	181607	वेतन
29.09.2015	91709	A22100071	315294	वेतन
29.09.2015	91709	A22100072	98930	वेतन
29.09.2015	91709	A22100073	54353	वेतन
29.09.2015	91709	A22110021	101888	वेतन
		Total =	**67,79,842/-**	

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगत कये जाने पर मुख्य चकत्सा अधकारी, रूद्रपुर, उधमसंह नगर ने लेखापरीक्षा आपत्त को स्वीकार करते हुए कहा क भवष्य में इसका ध्यान रखा जायेगा । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंक शासन के पत्रांक सं०- 3/xxvii(6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के दिशा-निर्देश का उलंघन कया गया था ।

अतः धनराश रु 68.80 लाख की प्रवष्टि रोकड़ बही न कये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

प्रस्तर **4 :** धनरा श रु **1.32** लाख के यात्रा बिलों के भुगतान में नियमों की अनदेखी कया जाना ।

Bill for travelling allowance - No bill for travelling allowance of a gazetted government employee shall be signed and paid unless the drawing and disbursing officer is satisfied that before undertaking the journey the gazetted officer has got his detailed tour programmed approved from the respective Controlling Officer. आगे, सरकारी धन के सुचारु एवं अल्पतम व्यय के दृष्टिगत कसी सरकारी कार्य हेतु कसी अ धकारी/ कर्मचारी को दौरे पर भेजने से पूर्व प्रस्थान से लेकर आगमन तक का) दौरा कार्यक्रम (Tour Programme)/ अस्थाई दौरा कार्यक्रम (Tentative Tour Programme) का अनुमोदन होना चाहिए, ता क अ धकारी/ कर्मचारी की दौरे के दौरान उसके अद्यतन कार्य-स्थल का समु चत निगरानी रखी जा सके एवं बिल भुगतान के समय संबन्धित द्वारा प्रस्तुत टी.ए. बिल को दौरा कार्यक्रम (Tour Programme) के अनुसार ही भुगतानित कया जा सके ।

कार्यालय मुख्य च कत्सा अ धकारी, रुद्रपुर, ऊधम संह नगर के अव ध 09.2015 से 06.2017 के टी.ए. बिलों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया क कार्यालय मे निम्न ल खत ववरण के कुल धनरा श रु 1,31,633/- के टी.ए. बिलों मे यात्रा से पूर्व संबन्धित अ धकारी/ कर्मचारी का न तो Tentative Tour Programme संलग्न पाया गया एवं न ही दौरे के पश्चात कार्यालय द्वारा अनुमोदित Revised Tour Programme संलग्न पाया गया । समस्त दौरे कार्यालयाध्यक्ष के मौ खक आदेशानुसार सम्पन्न कये गये थे ।

Payment of TA bill during the period of 09.2015 to 06.2017

S. N.	Name & designation (Shree/ Ms)	Tour Period	Amount Paid	Remark
1	Daleep Singh Rana, Driver	01.03.15 to 25.01.16	5678.00	-
2	Pawan Kumar, FSO	08.06.15 to 04.07.15	3300.00	-
3	Amandeep Singh, Driver	23.12.14 to 05.08.15	4894.00	-
4	Dr. T.K. Sharma, Health officer	09.01.15 to 21.04.15	8614.00	-
5	Kamal Kishore, Jr. Asst.	20.04.15 to 01.03.16	8910.00	-
6	Dr. S.S. Dugtal, ACMO	16.03.15 to 04.09.15	2900.00	-
7	N.S. Bisht, CAO	07.05.15 to 16.02.16	4199.00	-

8	G.S. Bisht, Ch. Asst.	17.03.15 to 05.02.16	3438.00	-
9	Naveen Burathoki, AO	25.04.15 to 17.12.16	7970.00	-
10	Gordhan Singh, JE	26.12.16 to 28.02.16	1309.00	-
11	Janki Chaudhary, Jr. Asst.	12.03.15 to 02.03.16	2888.00	-
12	Manish Singh Sayana, DO	23.06.15 to 25.09.15	2324.00	-
13	Pritam Singh Rana, Peon	12.03.15 to 07.11.15	2064.00	-
14	Kuwant Kaur, PHN	03.06.15 to 31.01.16	4728.00	-
15	Aslam Khan, FSO	20.03.15 to 17.11.15	4249.00	-
16	D.K. Joshi, Pharmacist	06.05.15 to 20.02.16	750.00	-
17	Sunil Kumar, Ch. Pharmacist	16.05.15 to 17.06.15	250.00	-
18	Vijay Pal, Peon	06.05.15 to 20.02.16	1050.00	-
19	Depak Kumar, Drug Inspecter	01.01.15 to 26.03.15	5326.00	-
20	Jitendra Kumar, Peon	14.05.15 to 28.09.15	785.00	-
1	Sanjay Tiwari, FSO	23.06.15 to 31.04.16	9693.00	-
2	Dr. T.K. Sharma, DTO	27.09.15 to 29.09.15	3750.00	-
3	N.S. Bisht, CAO	20.05.16 to 30.11.16	7619.00	-
4	Daleep Singh Rana, Driver	12.07.16 to 09.12.16	3780.00	-
5	Atul Joshi, ASO	11.05.16 to 27.12.16	6238.00	-
6	Kamal Kishore, Jr. Asst.	05.04.16 to 11.05.16	5526.00	-
7	Sunil Kumar, Ch. Pharmacist	12.08.16 to 20.12.16	500.00	-
8	Dr. S.S. Dugtal, ACMO	26.10.16 to 10.03.17	2900.00	-
9	D.K. Joshi, Pharmacist	03.09.16 to 13.09.16	750.00	-
10	Gordhan Singh, JE	03.05.16 to 07.02.17	3148.00	-
11	Amandeep Singh, Driver	06.04.16 to 16.03.17	6952.00	-
12	Manish Singh Sayana, DO	07.07.16 to 26.11.16	5151.00	-
	G.Total		**1,31,633.00**	

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि भविष्य मे ध्यान रखा जायेगा । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि Before undertaking the journey the gazetted officer has got his detailed tour programmed approved from the respective Controlling Officer" संबन्धित दिशा-निर्देश का उलंघन किया गया था ।

अतः धनराशि रु 1.32 लाख के यात्रा बिलों के भुगतान में नियमों की अनदेखी किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर **5:** धनरा श रु 11.**52** लाख के औष धयों का अनिय मत क्रय कया जाना ।

उत्तराखण्ड राज्य हेतु औष ध क्रय नीति वषय पर शासनादेश संख्या– 932/ XXVIII-4- 2014- 28(8)/ 2012 दिनांक 13 जुलाई 2015 (च कत्सा अनुभाग- 4) के बिन्दु संख्या 11 में यह निर्देशित किया गया था कि 'प्रत्येक निविदा दात्री फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होंगी' एवं औष ध के प्रत्येक लेबल, कार्टन व अन्य पै कंग प्रदर्शन पर UKG सप्लाई, नॉट फार सेल इंडे लबल इंक से लखा जाना अनिवार्य होगा। औष धयों की पै कंग हेतु दिये गये स्पे स फकेसन ही मान्य होगा ।

कार्यालय मुख्य च कत्सा अ धकारी, रुद्रपुर, ऊधम संह नगर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि उक्त नियमों के विपरीत इकाई द्वारा कुल **रू0 1,03,567/-** मूल्य की ऐसी औषधियों का क्रय किया गया जोकि उनके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी थी एवं रू0 **10,48,753/-** मूल्य की ऐसी औषधियों का लगातार क्रय किया गया, जिनके भुगतानित वाउचर पर औष ध-निर्माता/ फर्म द्वारा औष ध के निर्माण की ति थ (manufacturing date) अं कत नहीं कया गया था, जिस कारण औष ध-निर्माता/ फर्म द्वारा इकाई को तीन माह से कतनी अ धक पुरानी औष धयों की सप्लाई की गई थी, औष ध-निर्माता/ फर्म के बिल के अनुसार ज्ञात कया जाना संभव नहीं था । निर्माण ति थ से जितनी अ धक पुरानी औष धयों का क्रय होगा, उसका उतने ही कम समय तक औषधालय मे उपयोग हो सकेगा ।

ववरण निम्नवत है :-

Bill no. & date	Name of Medicine	MFG Date	3 Month Validity	Purchase date	Delay	Amount (Rs)

CB/ 16- 17/ 0145; 23.01.2017	Tab Domperidone	06.2016	09.2016	23.01.2017	03 month 23 day	24189
CB/ 16- 17/ 0145; 23.01.2017	Tab Diclofenac Sodium	03.2016	06.2016	23.01.2017	06 month 23 day	12944
CB/ 16- 17/ 0141; 23.01.2017	Cough Syrup	01.2016	04.2016	23.01.2017	08 month 23 day	66434
					Total =	1,03,567/-

Bill no. & date	Name of Medicine	MFG Date	3 Month Validity	Purchase date	Delay	Amount (Rs)
8099; 24.09.2016	Tab Diclofenac Sodium	Not mentioned	-	24.09.2016	-	82373
	Tab Diclofenac Sodium					
8098; 24.09.2016	Tab Cetrizine	Not mentioned	-	24.09.2016	-	20164
8390; 23.01.2017	Tab Ciprofloxacin	Not mentioned	-	23.01.2017	-	93395
8392; 23.01.2017	Tab Ciprofloxacin	Not mentioned	-	23.01.2017	-	85020
	Tab Ibuprofen		-		-	
8397; 23.01.2017	Tab Parcetamol	Not mentioned	-	23.01.2017	-	84819
8391; 23.01.2017	Tab Ciprofloxacin	Not mentioned	-	23.01.2017	-	29887
8708; 09.03.2017	Tab Cotrimoxazole DS	Not mentioned	-	09.03.2017	-	9874
8706; 09.03.2017	Tab Ciprofloxacin	Not mentioned	-	09.03.2017	-	99700
8605; 28.02.2017	Syp Paracetamol	Not mentioned	-	28.02.2017	-	32855
8707; 09.03.2017	Tab Ciprofloxacin	Not mentioned	-	09.03.2017	-	52535
28; 25.05.2016	Tab Chlorine	Not mentioned	-	25.05.2016	-	14000
26; 25.05.2016	B. Powder	Not mentioned	-	25.05.2016	-	32835
8463; 06.02.2017	Cap Omeprazole	Not mentioned	-	06.02.2017	-	24903
8475; 06.02.2017	Cap Doxycycline	Not mentioned	-	06.02.2017	-	60946
8396; 23.01.2017	Cap Doxycycline	Not mentioned	-	23.01.2017	-	36613
8464; 06.02.2017	Syp Amoxycillin	Not mentioned	-	06.02.2017	-	51818
86; 25.01.2017	R. Bandage	Not mentioned	-	25.01.2017	-	13200
8606; 28.02.2017	Syp Paracetamol	Not mentioned	-	28.02.2017	-	28474
8694;	Tab	Not	-	09.03.2017	-	45512

09.03.2017	Metronidazole	mentioned				
8698; 09.03.2017	Tab Ciprofloxacin	Not mentioned	-	09.03.2017	-	54870
8465; 06.02.2017	Cap Doxycycline	Not mentioned	-	06.02.2017	-	14217
	Cap Omeprazole		-		-	
8709; 09.03.2017	Syp Cotrimoxazole	Not mentioned	-	09.03.2017	-	11365
8726; 15.03.2017	Tab Cetrizine	Not mentioned	-	15.03.2017	-	7972
8705; 09.03.2017	Tab Ciprofloxacin	Not mentioned	-	09.03.2017	-	11674
8693; 09.03.2017	Tab Metronidazole	Not mentioned	-	09.03.2017	-	45512
8700; 09.03.2017	Tab Cetrizine	Not mentioned		09.03.2017	-	4220
					Total =	10,48,753/-

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगत कये जाने पर मुख्य चकत्सा अधकारी, रूद्रपुर, उधमसंह नगर ने लेखापरीक्षा आपत्त को स्वीकार करते हुए कहा क भविष्य में निर्धारित औषधयों का क्रय कया जायेगा एवं भविष्य में बिना औषध निर्माण तिथ के बिलों का भुगतान नहीं कया जायेगा । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योक उत्तराखण्ड राज्य हेतु औषध क्रय नीति वषय पर शासनादेश संख्या– 932/ XXVIII- 4- 2014- 28(8)/ 2012 दिनांक 13 जुलाई 2015 (चकत्सा अनुभाग- 4) के दिशा-निर्देश का उलंघन कया गया था ।

अत: धनराश रु 11.52 लाख के औषधयों के अनियमत क्रय कये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

प्रस्तर 6 : लेखन सामग्री, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण के अंतर्गत धनरा श रु 3.**83** लाख का अनिय मत क्रय ।

उत्तराखण्ड शासन वत्त वभाग संख्या- 177/ (7)/ 2008 देहरादून दिनांक 1 मई, 2008 अ धप्राप्ति के मौ लक सद्धांत बिंदु संख्या 3(1) में स्पष्ट कया गया है क समस्त अ धप्राप्ति प्र क्रयाओं में पारद र्शता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए ता क व्यय की जाने वाली धनरा श का अ धकतम लाभ प्राप्त हो सके एवं बिंदु संख्या (10) में स्पष्ट कया गया है क अ धप्राप्ति के निम्नतम दरों का लाभ प्राप्त करने के लए यथासाध्य अ धकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अ धप्राप्ति का प्रयास कया जाए अ धप्राप्ति मूल्य कम करने के लए आवश्यक मात्र को वभाजित नहीं कया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आंक लत मूल्य के सन्दर्भ में अपे क्षत उच्चतर प्रा धकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लए छोटे- छोटे भागों में वभक्त कया जाएगा

कार्यालय के लेखन सामग्री और कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण के नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया क धनरा श रु 3.83 लाख की ख़रीदारी बिना नि वदा के टुकड़ों में वभक्त करके की गयी थी

ववरण निम्न ल खत है :

फर्म का नाम	वाउचर सं./ **Invoice No. &** दिनांक	भुगतान-आदेश दिनांक	धनरा श **(Rs)**
M/s Sahkari Mudran Audyogic Samiti Ltd., Halwani, Distt.- Nainital	2014-15 No. 000717; 02.03.2015	31.12.2015	39376
M/s Sahkari Mudran Audyogic Samiti Ltd., Halwani, Distt.- Nainital	2014-15 No. 000719 05.03.2015	31.12.2015	39690
मै॰ भगवती कन्वेसर्स	,503 25.02.2016	-	23835
मै॰ भगवती कन्वेसर्स	26.02.2016 ,504	-	149479
मै॰ भगवती कन्वेसर्स	08.03.2016 ,505	-	25425
मै फ़ाइन स्टील फर्नीचर	201 12.03.2016	-	29850

मै फ़ाइन स्टील फर्नीचर	17.03.2016 208	-	24970
मै फ़ाइन स्टील फर्नीचर	210 18.03.2016	-	49940
		Total =	**3,82,565/-**

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगत कए जाने पर वभाग ने उत्तर मे बताया है क भवष्य मे निवदा प्रकया का पालन कया जायेगा । उत्तर मान्य नही है क्योक वभाग द्वारा निवदा क प्रक्रया नही अपनायी गयी थी तथा अधप्राप्ति के निम्नतम दरों का लाभ प्राप्त करने के लए यथासाध्य अधकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधप्राप्ति का प्रयास कया जाना चाहिए था ।

अतः धनराश रु 3.83 लाख के अनियमत क्रय का प्रकरण सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर **7:** धनरा श रु **51.26** लाख के औष धयों का अनिय मत क्रय कया जाना ।

वत्तीय अ धकारों का प्रतिनिधायन, 2010 में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक- 562/xxvii (7)/ 2010 दिनांक 24 मई (वत्त अनुभाग-7) के अनुसार महानिदेशक, च कत्सा एवं स्वास्थ्य वभाग को वत्तीय अ धकारों की पारिसीमाओं के अन्तर्गत यह वत्तीय अ धकार है क कसी एक वस्तु का मूल्य रु 10.00 लाख से अ धक नहीं होगा तथा एक बार में 25.00 लाख तक की सामग्री का क्रय कया जा सकता है, परन्तु *कार्यालयाध्यक्ष को कोई अ धकार नहीं* प्रदान कया गया है ।

कार्यालय मुख्य च कत्सा अ धकारी, रुद्रपुर, ऊधम संह नगर द्वारा उपलब्ध करायें गये अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया क वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में महानिदेशालय महानिदेशक, च कत्सा एवं स्वास्थ्य वभाग के अनुमोदन बिना कार्यालयाध्यक्ष के आदेश से सी.एम.एस.डी. स्टोर, रुद्रपुर, उधम संह नगर से कुल धनरा श रु 51.26 लाख की औष धयाँ क्रय की गई थी ।

ववरण निम्नवत है :-

(रु में)

सी.एम.एस.डी. स्टोर, रुद्रपुर, उधम संह नगर औष ध क्रय ववरण	
2015-16	
आर.सी. स्तर पर क्रय की गई टी.बी.सी. की रोकथाम/औष ध	98,787/-
आर.सी. स्तर पर क्रय की गई कुष्ठ की रोकथाम/औष ध	89,893/-
आर.सी. स्तर पर क्रय की गई कुष्ठ की रोकथाम/औष ध	59,822/-
आर.सी. स्तर पर क्रय की गई अन्धेपन की रोकथाम/औष ध	24,516/-
आर.सी. स्तर पर क्रय की गई रा.ए. च. की स्थापना/औष ध	4,98,956/-
आर.सी. स्तर पर क्रय की गई रा.ए. च. की स्थापना/औष ध	4,98,796/-
आर.सी. स्तर पर क्रय की गई सुदूर क्षेत्र में फार्मा सस्ट की ब्यवस्था/औष ध	3,96,264/-
आर.सी. स्तर पर क्रय की गई सी.एच.सी. स्था./औष ध	6,99,326/-
आर.सी. स्तर पर क्रय की गई पी.एच.सी. स्था./औष ध	7,93,508/-
Total =	31,59,868/-
2016-17	
आर.सी. स्तर पर क्रय की गई टी.बी.सी. की रोकथाम/औष ध	79,848/-
आर.सी. स्तर पर क्रय की गई कुष्ठ की रोकथाम/औष ध	69,548/-

आर.सी. स्तर पर क्रय की गई अन्धेपन की रोकथाम/औषध	99,700/-
आर.सी. स्तर पर क्रय की गई रा.ए. च. की स्थापना/औषध	2,48,389/-
आर.सी. स्तर पर क्रय की गई सुदूर क्षेत्र में फार्मा सस्ट की ब्यवस्था/औषध	3,73,943/-
आर.सी. स्तर पर क्रय की गई सी.एच.सी. स्था./औषध	5,63,871/-
आर.सी. स्तर पर क्रय की गई पी.एच.सी. स्था./औषध	5,30,658/-
Total =	19,65,957/-
Grand Total =	**51,25,825/-**

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगत कये जाने पर मुख्य चकत्सा अधकारी, रूद्रपुर, उधम संह नगर ने लेखापरीक्षा आपत्त को स्वीकार करते हुए कहा क भविष्य में शासनादेश का पालन कया जायेगा । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंक वत्तीय अधकारों का प्रतिनिधायन, 2010 में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक- 562/ xxvii (7)/ 2010 दिनांक 24 मई (वत्त अनुभाग-7) के दिशा-निर्देश का उलंघन कया गया था ।

अत: धनराश रु 51.26 लाख के औषधयों के अनियमत क्रय कये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**	**TAN**
SS/ AIR- 119/ 2005-06	1, 2, 3, 4, 5 & 6	1 & 2	---	---
SS/ AIR- 201/ 2006-07	1 & 2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8	---	---
SS/ AIR- 227/ 2008-09	3 & 4	1, 2, 3, 4 & 5	---	---
SS/ AIR- 125/ 2013-14	---	1	1 & 2	---
SS/ AIR- 100/ 2015-16	---	1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7	1, 2, 3 & 4	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 9

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
SS/ AIR- 119/ 2005-06	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 1, 2, 3, 4, 5 & 6; भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1, 2 **STAN-** Nil एवं **TAN**- Nil	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता है	--
SS/ AIR- 201/ 2006-07	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 1 & 2; भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8; **STAN-** Nil एवं **TAN**- Nil	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता है	--
SS/ AIR- 227/	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 3 & 4; भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1, 2, 3, 4	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता	--

2008-09	& 5; **STAN-** Nil एवं **TAN**- Nil		है	
SS/ AIR-125/ 2013-14	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- nil; भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1; **STAN-** 1 & 2; एवं **TAN**- Nil	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता है	--
SS/ AIR-100/ 2015-16	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- nil; भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7; **STAN-** 1, 2, 3 & 4; एवं **TAN**- 2, 4 & 6	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता है	--

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन कया जाय)

.... शून्य ....

भाग-V

<u>आभार</u>

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु मुख्य च कत्सा अ धकारी, रुद्रपुर, ऊधम संह नगर तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः-

अप्रस्तुत अ भलेखः शून्य

2). सतत् अनिय मतताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया :

नाम	पदनाम	अव ध
डॉ0 हेमन्त कुमार जोशी	मुख्य च कत्सा अ धकारी, रुद्रपुर, ऊधम संह नगर	वगत लेखापरीक्षा से 08.05.2017 तक
डॉ0 आर. के. पाण्डे	मुख्य च कत्सा अ धकारी, रुद्रपुर, ऊधम संह नगर	09.05.2017 से अब तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति मुख्य च कत्सा अ धकारी, रुद्रपुर, ऊधम संह नगर को इस आशय से प्रे षत कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सी- 1/105, वैभव पैलेश, इंदिरा नगर, देहरादून, 248006 को प्रे षत कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी,